न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2023-209Ju2023-28 Gordhanram ors Vs Multanaram etc

1. गोरधनराम पुत्र पोलाराम
2. चैनाराम पुत्र पोलाराम
   जातियान् मेघवाल, निवासीगण– गावं टेकरा तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब
ना
म

1. मुलतानाराम उर्फ मुलतीया पुत्र श्री खुमाणाराम
2. तेलिया पुत्र खुमाणाराम के वारिसान्
   2.1. भीयाराम पुत्र तेलाराम
   2.2. पोहमराम पुत्र तेलाराम
   2.3. चान्दाराम पुत्र तेलाराम
   2.4. किलाणाराम पुत्र तेलाराम
3. शिवनाथ के कायम मुकाम:–
   3.1. कसुम्बी पत्नी शिवनाथ
   3.2. बिरबलराम पुत्र शिवनाथ
4. समदी पत्नी उतमाराम
5. भंवरराम पुत्र उतमाराम
6. शंकरराम पुत्र उतमाराम
7. किरताराम पुत्र उतमाराम
8. रामाराम पुत्र उतमाराम
9. नखताराम पुत्र उतमाराम
10. परमाराम पुत्र उतमाराम
11. छोटाराम पुत्र उतमाराम
12. बाला पुत्री उतमाराम
    सभी जातियान मेघवाल, सभी निवासीगण – टेंकरा तहसील बाप, जिला जोधपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 10 फरवरी 1993 राजस्व वाद संख्या 46/1981 मुलताना उर्फ मुलतीया बनाम पोला के वारिसान् लाछो बेवा पोला इत्यादि

—————— 0 ——————

उपस्थित–
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 3/1, 04 से 12

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 27 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/1981 मुलताना उर्फ मुलतीया बनाम पोला के वारिसान् लाछो बेवा पोला इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 1993 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 02 जून 2016 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजीयात ग्राम टेकरा तहसील फलोदी (वर्तमान तहसील बाप) के खसरा संख्या संख्या 636 रकबा 187 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या संख्या 641 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या संख्या 637 रकबा 05 बिस्वा गै. मु.ढाणी कुल रकबा 212 बीघा 12 बिस्वा के संबंध में बंटवाड़ा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण/अपीलांट्स की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 1993 के जरिये वादी का स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेन्ट पोला, सुत व खुमु जाति भांभी की खातेदारी की भूमि थी जो अपीलान्टस गोरधनराम व चेनाराम पिता पोलाराम के अकेले के खातेदारी की थी तथा वक्त सेटलमेन्ट मे एक अन्य खेत खसरा संख्या 222 रकबा 59 बीघा 12 बिस्वा जो तेलिया, पोलिया, शिवनाथ, मुलतिया, उतमा पि. खुमाणा जाति भांभी की खातेदारी में दर्ज थी अर्थात मुलताना पुत्र खुमाणा के नाम जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वादी था, के नाम की भूमि मे 1/5 हिस्सा ही था, जिसमे अपीलाट्ंस गोरधन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व चेनाराम के पिता पोलाराम के हिस्से मे भी उक्त खसरे की भूमि मे 1/5 वा हिस्सा था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने हक व हिस्से से ज्यादा भूमि का सभी खसरो मे बिना किसी आधार के खातेदारी दर्ज कर दी, जिसका कोई आधार नही था एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन ही नही किया गया एंव भूमि का गलत तरिके से बंटवाडा कर दिया गया, जबकि खसरा संख्या 636, 641 व 637 मे शिवनाथ, मुलनाता, उतमा व तेलिया का वक्त सेटलमेन्ट मे उपरोक्त 3 खसरो मे नाम ही दर्ज नही था तो फिर किस आधार पर अपीलांट्स के पिता पोलाराम की भूमि मे बंटवाडा कर दिया गया, उसका आधार भी नही बताया तथा परीक्षण न्यायालय ने बिना घोषणा के अनुतोष के ही वादी को वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार घोषित कर दिया गया तथा निर्णय एंव डिक्री मे इस बाबत कोई फाइंडिंग नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री सी पी सी के प्रावधानो एंव प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि उक्त निर्णय एंव डिक्री की हाल ही मे जानकारी होने पर एंव हल्का पटवारी से नकल लेने पर दिनांक 19.05.2016 को जानकारी हुई। तत्पश्चात् अपीलांट्स द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। पूर्व मे जानकारी नही होने से एंव अपीलांटस गरीब एंव अनपढ किसान होने से अपील प्रस्तुत नही कर सके, न ही उनको मियाद के सम्बन्ध मे जानकारी थी। ऐसी स्थिति मे न्यायहित मे अपील की सुनवाई मैरिट पर किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/1981 मुलताना उर्फ मुलतीया बनाम पोला के वारिसान् लाछो बेवा पोला इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 1993 निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात उभय पक्ष की पुश्तैनी भूमि है तथा पक्षकारान् पुश्तैनी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से प्रस्तुत वाद में इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री उभय पक्ष की सहमति से इकबाली जवाब के आधार पर पारित किये गये है। कानूनन सहमति से पारित निर्णय के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री उभय पक्ष की उपस्थिति में पारित किये गये है। अपीलांट्स द्वारा बावजूद जानकारी हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेश की गई है तथा उक्त विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध के मुताबिक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट्स की ओर से दिनांक 25.09.1991 को इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वादग्रस्त आराजीयात में 1/5 वा हिस्सा होना स्वीकार करते हुए वाद को स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत उक्त इकबाली जवाब एवं उभय पक्ष की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। धारा 96(3) सीपीसी के प्रावधानों के मुताबिक **सहमति से पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध कानूनन अपील पोषणीय नहीं है**। अपीलांट्स द्वारा अपने इकबाली जवाबदावा में दी गई सहमति से परे जाकर किसी प्रकार के कथन करने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सहमति से विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में गुणावगुण पर किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील कालवर्जित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/1981 मुलताना उर्फ मुलतीया बनाम पोला के वारिसान् लाछो बेवा पोला इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 1993 रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2023-209Ju2023-28 Gordhanram ors Vs Multanaram etc

अपीलाण्ट

1. गोरधनराम पुत्र पोलाराम
2. चैनाराम पुत्र पोलाराम

जातियान् मेघवाल, निवासीगण– गावं टेकरा तहसील बाप, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. मुलतानाराम उर्फ मुलतीया पुत्र श्री खुमाणाराम
2. तेलिया पुत्र खुमाणाराम के वारिसान्

2.1. भीयाराम पुत्र तेलाराम

2.2. पोहमराम पुत्र तेलाराम

2.3. चान्दाराम पुत्र तेलाराम

2.4. किलाणाराम पुत्र तेलाराम

3. शिवनाथ के कायम मुकामः–

3.1. कसुम्बी पत्नी शिवनाथ

3.2. बिरबलराम पुत्र शिवनाथ

4. समदी पत्नी उतमाराम
5. भंवरराम पुत्र उतमाराम
6. शंकरराम पुत्र उतमाराम
7. किरताराम पुत्र उतमाराम
8. रामाराम पुत्र उतमाराम
9. नखताराम पुत्र उतमाराम
10. परमाराम पुत्र उतमाराम
11. छोटाराम पुत्र उतमाराम
12. बाला पुत्री उतमाराम

सभी जातियान मेघवाल, सभी निवासीगण – टेंकरा तहसील बाप, जिला जोधपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 10 फरवरी 1993 राजस्व वाद संख्या 46/1981 मुलताना उर्फ मुलतीया बनाम पोला के वारिसान् लाछो बेवा पोला इत्यादि

———— 0 ————

यह अपीले बतारीख 27 मई अप्रैल 2026 बहाजरी अधिवक्ता श्री नोहरसिंह सोलंकी, मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील कालवर्जित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/1981 मुलताना उर्फ मुलतीया बनाम पोला के वारिसान् लाछो बेवा पोला इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 फरवरी 1993 रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ——00——) रूपये ————00———— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ——00———— अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 27 मई 2026 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकलातनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनाम		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराम हुक्मनामा	
4. वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर